JALAUN POLICE

दिनांक– 22.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी साकेश पुत्र स्व0 मिश्रीलाल नि0 मुहल्ला राम चबूतरा कस्बा व कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के पुत्र हिमांशु उम्र करीब 19 वर्ष को लाठी व हॉकी से मारपीट कर जान से मार देना, के संबन्ध में तहरीर के आधार पर दिनांक 13.01.2023 को थाना आटा पर मु0अ0सं0 06/23 (वाद संख्या 81/23) धारा 34/302 भादवि बनाम 1- संतोष 2. दीपक पुत्रगण रामदास निवासीगण ग्राम व थाना आटा जनपद जालौन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना आटा पुलिस द्वारा दिनांक 14.01.2023 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.03.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.08.2025 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।